

विषय:- सूचना का अधिकार – अधिनियम 2005 ।

बिन्दु क्र.1. म0प्र0पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा-25 के अंतर्गत (छवज वित्त चवपिज) सन् 1994 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया था। निगम का उद्देश्य दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शहरी/ग्रामीण पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यकवर्ग एवं विकलांग हितग्राहियों के आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान को लेकर शासकीय प्रत्याभूति के आधार पर राष्ट्रीय निगमों से ऋणराशि प्राप्त कर प्रदेश स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से हितग्राहियों को ऋण वितरित करते हुए एक लाभ निरपेक्ष संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

बिन्दु क्र.2. शासन के नियमानुसार एवं संचालक मण्डल की स्वीकृति अनुसार निगम के प्रबंध संचालक द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं एवं भारत सरकार/राष्ट्रीय निगमों से पत्राचार किया जाता है।

बिन्दु क्र.3. निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों से शासकीय प्रत्याभूति के आधार पर ऋण प्राप्त कर पात्र हितग्राहियों को ऋण आबंटन करना एवं ऋण वसूली कर राष्ट्रीय निगमों को पुर्नभुगतान करने का दायित्व है।

राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास निगम नई, दिल्ली की स्वीकृत योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

- टर्मलोन
- मार्जिन मनी लोन
- माइक्रो फायनेन्स योजना
- स्वयं सक्षम योजना
- शिक्षा ऋण योजना
- न्यू स्वर्णिमा योजना
- महिला समृद्धि योजना

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली की स्वीकृत योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

- टर्मलोन
- मार्जिन मनी लोन
- शिक्षा ऋण योजना
- माइक्रो क्रेडिट
- महिला समृद्धि ऋण योजना

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद की स्वीकृत योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

- टर्मलोन
- माइक्रो क्रेडिट
- मानसिक विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु आर्थिक मदद हेतु ऋण।

राष्ट्रीय निगमों द्वारा हितग्राहियों को दिये जाने वाले ऋणों के मुख्य रूप से निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं:-

- हितग्राही पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यकवर्ग का हो।
- हितग्राही की आयु अधिकतम 18 से 55 वर्ष हो।
- हितग्राही की वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र में रु.55,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु. 40,000/- से कम हो।
- पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यकवर्ग की जातियाँ भारत शासन/राज्य शासन द्वारा घोषित हो।
- हितग्राही राज्य का मूल निवासी हो।

राष्ट्रीय निगमों एवं राज्य निगम तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एवं जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऋण स्वीकृत होता है। जिलों में स्थापित जिला रोजगार बोर्ड के गठन की सूचना संलग्न है।

बिन्दु क्र.4. निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से पंजीकृत मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों अनुरूप नियंत्रित होता है। साथ ही समय समय पर राज्यशासन द्वारा जारी परिपत्र/नियम/अधिनियम के अंतर्गत भी निगम नियंत्रित होता है। परिशिष्ट-3 (छायाप्रति संलग्न)

बिन्दु क्र.5. निगम के नियंत्रण में निम्नलिखित दस्तावेज हैं:-

- मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन।
- आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
- कम्पनी एक्ट।
- राष्ट्रीय निगमों द्वारा जारी मार्गदर्शिका।
- संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों का कार्यवाही विवरण।
- राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों से संबंधित पुस्तिका।

बिन्दु क्र.6. निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार संचालक मण्डल में कुल 12 सदस्य हैं। जिनमें से एक अध्यक्ष एवं दो अशासकीय सदस्य होते हैं। जिनका नामांकन राज्य शासन द्वारा अधिकतम 2वर्ष के लिए किया जाता है। शेष नौ सदस्य शासकीय हैं। निगम की नीतियां एवं उनके क्रियान्वयन हेतु संचालक मण्डल सक्षम होता है। संचालक मण्डल की सूची संलग्न है। परिशिष्ट-4

बिन्दु क्र.7. कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद	निवास का पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक	
				निवास	दूरभाष
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री राजेश प्रसाद मिश्र	प्रबंध संचालक	ई-7/9, चार झमली, भोपाल।	2430443	2660209
2.	श्री अनिल मित्तल	प्रबंधक वित्त	सी-8, बीडीए कॉलोनी, शिवाजीनगर, भोपाल	3095689	2660208

3.	श्री सुधीर त्यागी	सहायक प्रबंधक	ए-65, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल।	2660208
4.	श्री नरेन्द्र त्रिपाठी	कनि.लेखाधिकारी	जून.एमआईजी, ई. एन.-124, नेहरू नगर, भोपाल।	2660208
5.	श्री सी.बी.सोनी	उच्च श्रेणी लिपिक	589, सर्वधर्म 'सी' सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल।	2660208
6.	कु0 रश्मि देशमुख	कनि.शीघ्रलेखक	जे-160, हर्षवर्धननगर, माता मंदिर के पास, भोपाल।	2660208
7.	श्री मुकुन्द श्रीवास्तव	लेखापाल	12/2, राजवेद 'टी' सेक्टर वंदनानगर गेहूँखेड़ा, कोलार रोड, भोपाल।	2660208
8.	श्री पी.एन.भाटिया	स्टेनो-टायपिस्ट	म.नं.12, राधाकृष्ण मंदिर के पीछे, बरखेड़ी भोपाल।	2660207
9.	श्री नरेश सावला	नि0श्रे0लिपिक	ई-11/9, चार इमली, भोपाल।	2660208
10.	श्री चन्द्रशेखर	नि0श्रे0लिपिक	म.नं.252, प्रगतिनगर पंजाबी बाग के पीछे अप्सरा टॉकिज के पास, भोपाल।	2660208
11.	श्रीमती उजमा	नि0श्रे0लिपिक	म.नं.30, हमीदिया अस्पताल के पास, फतेहगढ़ भोपाल।	2660208
12.	श्री दिलीप फुरसगें	वाहन चालक	भोपाल।	2660208
13.	श्री मुन्नालाल बघेल	वाहन चालक	99-डब्ल्यू.एस. कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल।	2660208
14.	श्री राजेन्द्रप्रसाद	वाहन चालक	म.नं.31, शांतिनगर, संगम सिनेमा के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल।	2660208
15.	श्री गंगाप्रसाद कुशवाह	भृत्य	ई-6, मीराबाई मंदिर के पास, भोपाल।	2660208
16.	श्री करणसिंह कुशवाह	भृत्य	ई-9/एच/3, चार इमली, भोपाल।	2660208
17.	श्री अर्जुन शर्मा	भृत्य	ई-5/110, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।	2660208
18.	श्री वीरेन्द्रसिंह कुशवाह	भृत्य	109/2, शिवाजीनगर, भोपाल।	2660208
19.	श्री इन्द्रभानसिंह	भृत्य	म.नं.145, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल।	2660208
20.	श्री हरिभानसिंह अटल	भृत्य	म.नं.252, प्रगतिनगर, भोपाल।	2660208
21.	श्री ग्यारसीप्रसाद	स्वीपर	बाणगंगा, भोपाल।	2660208

बिन्दु क्र.8. कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	वेतनमान	वर्तमान में प्राप्त उपलब्धियाँ						भुगतान की पद्धति
				वेतन	डी.ए.	एच. आर. ए.	सी.ए.	सी. सी. ए.	अन्य	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	श्री राजेश प्रसाद मिश्र	प्रबंध संचालक	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	श्री अनिल मित्तल	प्रबंधक वित्त	2375-4125	4000	15123	600	---	180	1050	चैक द्वारा
3.	श्री सुधीर त्यागी	सहायक प्रबंधक	2375-4125	3625	14311	544	2042	180	975	चैक द्वारा
4.	श्री नरेन्द्र त्रिपाठी	कनि. लेखाधिकारी	5000-8000	7250	8736	---	766	180	---	चैक द्वारा
5.	श्री सी.बी.सोनी	कनि. लेखाधिकारी	1400-2340	2090	8417	314	581	100	649	चैक द्वारा
6.	कु0 रश्मि देशमुख	कनि.शीघ्रलेखक	3050	3050	2959	---	819	-	-	चैक द्वारा
7.	श्री मुकुन्द श्रीवास्तव	लेखापाल	4000	4000	3880	320	819	-	-	चैक द्वारा
8.	श्री पी.एन.भाटिया	स्टेनो-टाइपिस्ट	3050	3050	2959	244	819	-	-	चैक द्वारा
9.	श्री नरेश सावला	नि0श्रे0लिपिक	3050	3050	2959	244	819	-	-	चैक द्वारा
10.	श्री चन्द्रशेखर	नि0श्रे0लिपिक	3050	3050	2959	244	819	-	-	चैक द्वारा
11.	श्रीमती उजमा	नि0श्रे0लिपिक	3050	3050	2959	244	819	-	-	चैक द्वारा
12.	श्री दिलीप फुरसर्गे	वाहन चालक	3050	3050	2959	244	50	-	-	चैक द्वारा
13.	श्री मुन्नालाल बघेल	वाहन चालक	3050	3050	2959	244	50	-	-	चैक द्वारा
14.	श्री राजेन्द्रप्रसाद	वाहन चालक	3050	3050	2959	244	50	-	-	चैक द्वारा
15.	श्री गंगाप्रसाद कुशवाह	भृत्य	2550	2550	2474	204	50	-	-	चैक द्वारा
16.	श्री करणसिंह कुशवाह	भृत्य	कलेक्टर दर	3195	-	246	50	-	-	चैक द्वारा
17.	श्री अर्जुन शर्मा	भृत्य	कलेक्टर दर	3195	-	246	50	-	-	चैक द्वारा
18.	श्री वीरेन्द्रसिंह कुशवाह	भृत्य	कलेक्टर दर	3195	-	246	50	-	-	चैक द्वारा
19.	श्री इन्द्रभानसिंह	भृत्य	कलेक्टर दर	3195	-	246	50	-	-	चैक द्वारा
20.	श्री हरिभानसिंह अटल	भृत्य	कलेक्टर	3195	-	246	50	-	-	चैक

			दर							द्वारा
21.	श्री ग्यारसीप्रसाद	स्वीपर		2763	—	123	—	—	—	चैक द्वारा

टीप:—उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत पद के विरुद्ध पदस्थ किये गये है।

बिन्दु क्र.9.

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	योजना भारत शासन या म.प्र.शासन की है	वार्षिक सब्सिडी कितनी प्राप्त होती है	हितग्राही चयन का मापदण्ड क्या है	चालू वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास निगम – 1. टर्म लोन 2. माइक्रोफाइनेन्स	राष्ट्रीय निगम	---	राष्ट्रीय निगम के नीति एवं दिशा निर्देश अनुसार।	---
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम – 1. टर्म लोन 2. माइक्रोफाइनेन्स	राष्ट्रीय निगम	---	राष्ट्रीय निगम के नीति एवं दिशा निर्देश अनुसार।	---
3.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम – 1. टर्म लोन	राष्ट्रीय निगम	---	राष्ट्रीय निगम के नीति एवं दिशा निर्देश अनुसार।	---

बिन्दु क्र.10. राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त ऋण को हितग्राहियों में वितरण करने हेतु राज्य शासन द्वारा जिलों में कार्यरत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अधिकृत किया गया है। निगम में किसी भी योजना में छूट प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

बिन्दु क्र.11. निगम की वेबसाइट – [www.mpr.gov.in](#) है।
निगम का ई-मेल – info@mpr.gov.in / web@mpr.gov.in है।

बिन्दु क्र.12. निगम में वेबसाइट, बोर्ड पर, पोस्टर, पम्पलेट द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से मौखिक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।

